

*Arun
photocopy
GDS*



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 313

24 वैशाख, 1933 शकाब्द

राँची, शनिवार 14 मई, 2011

मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

11 मई, 2011

संख्या स०को०-१०/२०१०/१२९१-झारखण्ड के राज्यपाल, निःशुल्क और "अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्यक्ष में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं ग्राहण—

- (1) यह नियमावली झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

349.30.30¹⁰

भाग 1—प्रारंभिक

2. परिभाषाएँ—

- (1) “इन नियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो,—
- (क) “अधिनियम” से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35);
 - (ख) “नियमावली” से तात्पर्य है झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011;
 - (ग) “आंगनबाड़ी” से तात्पर्य है भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्टीम के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र;
 - (घ) “नियत तारीख” से तात्पर्य है वह तारीख जिस तिथि से अधिनियम लागू किया गया है;
 - (ङ) “राज्य सरकार” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार;
 - (च) “जिला शिक्षा अधीक्षक” से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी;
 - (छ) “बच्चे” से तात्पर्य है 6—14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे;
 - (ज) “छात्र—शिक्षक अभिलेख” से तात्पर्य है व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया छात्र की प्रगति का अभिलेख;
 - (झ) “विद्यालय योजना निर्माण” से तात्पर्य है सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिये अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिये विद्यालय स्थान की योजना बनाना;
 - (ञ) “विभाग” से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग।
- (2) इस नियमावली में “प्रपत्र” का कोई भी संदर्भ इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र(ओं) को इंगित करेगा।
- (3) जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

भाग 2—विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कार्य –

- (1) गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी विद्यालयों में अधिनियम लागू होने के 6 मास के भीतर विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन किया जायेगा एवं इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।
- (2) उक्त समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें पचहत्तर प्रतिशत यथा: 12 सदस्य संबंधित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के माता-पिताओं या अभिभावकों में से होंगे।
- (3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत यथा: 4 निम्नवत् होंगे –
 - (क) स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य;
 - (ख) विद्यालय का एक शिक्षक, जिसका चयन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जायेगा;
 - (ग) विद्यालय की बाल संसद के एक प्रतिनिधि;
 - (घ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम् शिक्षक।
- (4) उक्त समिति, माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम् शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे।
- (5) उक्त समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होंगी। बैठकों की कार्यवाही उक्त समिति के सदस्य संयोजक द्वारा विधिवत् संचारित की जायेगी। कार्यवाही पंजी आम जनता के अवलोकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध रहेगी।
- (6) उक्त समिति, अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्यों का निर्वहन करेगी:–
 - (क) अधिनियम में उल्लेखित बालक के अधिकारों एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता-पिता तथा अभिभावकों के कर्तव्यों के संबंध में विद्यालय के आसपास की जनता को सरल ढंग से बतायेगी;
 - (ख) अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) और खंड (ड) तथा धारा 28 का अनुपालन करेगी;
 - (ग) शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों का भार नहीं डाला जाये, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी;
 - (घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी;
 - (ड) अधिनियम के प्राकधानों के अनुरूप मानकों को विद्यालय में बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी;

- (च) बालकों के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर, समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लायेगी;
- (छ) विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाने, योजना तैयार करने तथा अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के लागू करने हेतु अनुश्रवण करने का कार्य करेगी;
- (ज) निःशक्तिग्रस्त बालकों की पहचान कर, उनका नामांकन करवाने तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं का अनुश्रवण करने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का कार्य सुनिश्चित करेगी;
- (झ) विद्यालयों में मध्याह्न योजना का सम्बुद्धित रूप से कार्यान्वयन करवायेगी एवं योजना के सभी पहलुओं का अनुश्रवण करेगी;
- (ञ) विद्यालय की प्राप्तियाँ और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी।
- (7) ऐसी प्रत्येक उक्त समिति का एक वैक्षणिक खाता होगा एवं समिति द्वारा प्राप्त वित्ती भी धनराशि को इस खाते में रखा जायेगा एवं इसका वार्षिक रूप से अंकेक्षण किया जायेगा।
- (8) विद्यालय से संबंधित लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उनके तैयार किये जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना—
- (1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।
- (2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनायें होंगी।
- (3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित व्योरे होंगे—
- (क) प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षा—वार नामांकन का आकलन ;
 - (ख) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये अलग से अतिरिक्त आव्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान आव्यापक, विषय अव्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की आवश्यकता का विवरण ;
 - (ग) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का विवरण;
 - (घ) अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये कोई अन्य अतिरिक्त आव्यकता ।
 - (ङ) उपरोक्त के आलोक में विद्यालय की वित्तीय आवश्यकता ;
- (4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग 3—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा

5. विशेष प्रशिक्षण—

- (1) प्रत्येक विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालों की पहचान करेगी और ऐसे बच्चों के लिये निम्नलिखित रूप से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी—
 - (क) अधिनियम की धारा 29 के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी;
 - (ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय कक्षाओं में आयोजित किया जायेगा;
 - (ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस हेतु विशेष रूप से नियुक्त शिक्षकों द्वारा दिया जायेगा;
 - (घ) उक्त प्रशिक्षण की अवधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिये होगी जिसे परिस्थितों विशेष में दो वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तारित किया ज्ञा सकेगा।
- (2) वर्ग में अन्य बच्चों के साथ समन्वय हेतु विद्यालय में प्रवेश हो जाने के बाद भी ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भाग 4—राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

B. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं—

- (1) निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत विद्यालय स्थापित किया जायेगा—
 - (क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर;
 - (ख) कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए दो किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर;
- (2) भौगोलिक दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, आवागमन के दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र, या विद्यालय आने-जाने के मार्ग के असुरक्षित होने जैसे मामलों में दूरी की सीमा की शिथिर करते हुये विद्यालय स्थापित किया जायेगा।
- (3) जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति आवश्यकतानुसार वर्ग 1 से 5 के विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक ऐसी विद्यालय जाहाँ वर्ग 6 से कक्षाएं प्राप्त होती हैं उनमें वर्ग 6 से 5 या ऐसे विद्यालय जाहाँ वर्ग 6 से 7 की पढ़ाइ होती है वहाँ वर्ग 8 जोड़ सकती।
- (4) सघन आवादी वाले क्षेत्रों के पोषक क्षेत्र के लिये आवश्यकतानुसार एक से अधिक विद्यालय की स्थापना की जा सकेगी।

- (5) સ્થાનીય પ્રાધિકાર આંસપાસ કે એસો વિદ્યાલય/વિદ્યાલયોં કા પતા લગાયેગા, જહાં બાળકોં કો પ્રવેશ દિયા જા સકતા હૈ ઔર પ્રત્યેક ક્ષેત્ર કે લિયે એસી સૂચના આમણ જનતા કો ઉપલબ્ધ કરવાયેગા।
- (6) નિઃશક્તતાસે ગ્રસ્ત બાળકોં કો વિદ્યાલય મેં ઉપરિષ્ઠ હોને ઔર પ્રારંભિક શિક્ષા પૂર્ણ કરને હેતુ આવશ્યક સુનિશ્ચિત ઉપલબ્ધ કરાને કા પ્રયાસ કરેગા।
- (7) રાજ્ય સરકારન્યા સ્થાનીય પ્રાધિકાર યદુઃખિત કરેગા કિ બાળકોંની વિદ્યાલય તક પુરુષ સામાજિક ઔર સાંસ્કૃતિક કારણોસે બાધિત ન હો।

7. રાજ્ય સરકાર ઔર સ્થાનીય પ્રાધિકાર કે ઉત્તરદાયિત્વ—

- (1) અધિનિયમ કી ધારાઓં કે અનુરૂપ વિદ્યાલય મેં ઉપરિષ્ઠ હોને બાલા કોઈ બ્રાલક, અધિનિયમ કી ધારા 3 કે ઉપધારા (2) કે પ્રાવધાન કે અનુસાર નિઃશુલ્ક શિક્ષા કે લિયે હકકાર હોગા.
- પરંતુ નિઃશક્તતાસે ગ્રસ્ત કોઈ બાળક નિઃશુલ્ક વિશોષ શિક્ષા ઔર સહાયક સામાંગી કે લિયે ભી હકકાર હોગા।
- (2) આસ-પાસ કે વિદ્યાલયોં કા આવશ્યકતાની કા આકલન ઔર ઉનકી સ્થાપના કરને હેતુ રાજ્ય સરકાર યા સ્થાનીય પ્રાધિકાર વિદ્યાલય કી યોજના તૈયાર કરેગા ઔર દૂરરથ્થ ક્ષેત્રોં કે બાળકોં, નિઃશક્તતાગ્રસ્ત બાળકોં, અલાભપ્રદ સમૂહ કે બાળકોં, કમજોર વર્ગ કે બાળકોં ઔર ધારા 4 મેં ઉલ્લેખિત બાળકોં સહિત સમી બાળકોં કી, નિયત તારીખ સે એક વર્ષ કી અવધિ કે ભીતર ઔર ઉસકે પછ્યાત્ પ્રત્યેક વર્ષ, પહ્યાન કરેગા।
- (3) રાજ્ય સરકાર, યા સ્થાનીય પ્રાધિકાર યદુઃખિત કરેગે કિ વિદ્યાલય મેં કિસી ભી બાળક સે જાતિ, વર્ગ, ધાર્મિક યા લિંગ સંબંધી વિભેદ નહીં કિયા જાયે।

8. સ્થાનીય પ્રાધિકાર દ્વારા બાળકોં કે અભિલેખોં કો સંધારિત કરના—

- (1) સ્થાનીય પ્રાધિકાર અપને ક્ષેત્રાધીન સમી બાળકોં કા ઘરેલું સર્વેક્ષણ દ્વારા, ઉનકે જન્મ સે 14 વર્ષ કી આયુ પ્રાપ્ત કરને તક કા એક અભિલેખ સંધારિત કરેગા એવું ઇસે વાર્ષિક રૂપ સે અદ્યતન કિયા જાયેગા।
- (2) ઉક્ત એસો અભિલેખ કો, સાર્વજનિક રૂપ સે ઉપલબ્ધ રહ્યા જાએગા ઔર ઉસકા ઉપયોગ અધિનિયમ મેં ઉલ્લેખિત કાર્યો કે લિએ કિયા જાએગા।
- (3) અભિલેખ મેં, પ્રત્યેક બાળક કે સંબંધ મેં નિન્મલિખિત વિવરણ સમ્મિલિત હોગા:
- (ક) નામ, લિંગ, જન્મ કી તારીખ, જન્મ કા સ્થાન ;
 - (ખ) માતા-પિત્રીની યા અભિમાનક કા નામ, પતા, વ્યવસાય ;
 - (ગ) ઉસ પૂર્વ પ્રાથમિક / આંગનવાડી કેન્દ્ર કા નામ, જહાં બાળક (છ્હ વર્ષ કી આયુ તક) ઉપરિષ્ઠ રહા હૈ ;

- (घ) प्राथमिक विद्यालय, जहां बालक का नामांकन किया जाना है या नामांकन किया गया है;
- (ङ) बालक का वर्तमान पता;
- (च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 वर्ष-14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए) और यदि स्थानीय प्राधिकार की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है तो ऐसे जारी न रहने का कारण;
- (छ) क्या बालक कमज़ोर वर्ग का है;
- (ज) क्या बालक किसी अलाभप्रद समूह का है;
- (झ) क्या बालक (i) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (ii) आयु अनुरूप नामांकन; और (iii) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या आवासीय सुविधाओं का हकदार है।
- (4) स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से दर्शाये गए हैं।

भाग 5—विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

9. कमज़ोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश—
- (1) अधिनियम के अनुरूप विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालकों को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से अलग किया जाएगा न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए होने वाली कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेंगी।
- (2) विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार नामांकित किये गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, वर्द्धियों, पुस्तकालय और अन्य सभी सुविधाएँ के संबंध में, या किसी भी अन्य परिप्रेक्ष में, किसी भी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।
10. आयु के सबूत के रूप में दस्तावेज — जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा—
- (क) अरपताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख;
- (ख) आंगनबाड़ी अभिलेख;
- (ग) माता-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

11. प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि—

- (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी।
- (2) जल्द किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में नामांकित किया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा यथा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।
- (3) शैक्षणिक सत्र के भीतर अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आये बच्चे का नामांकन विद्यालय द्वारा दुकराया नहीं जायेगा एवं इसे विस्तारित अवधि के बाद को नामांकन नहीं समझा जायेगा।
- (4) किसी बच्चे को न तो विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा और न ही किसी कक्षा में रोका जायेगा एवं इसका उल्लंघन होने पर संबंधित विद्यालय/शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।
- (5) विद्यालय में बच्चों को न तो किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड दिया जायेगा और न ही उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक प्रताड़ना दी जायेगी। इसका उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय/शिक्षक पर कार्रवाई की जा सकेगी।

12. विद्यालय को मान्यता—

- (1) अधिनियम के लागू होने से पूर्व रथापित किये गये, प्रत्येक कोटि के विद्यालय को नियत तारीख से तीन माह के भीतर अधिनियम की अनुसूची में अंकित सञ्चियमों और मानकों के उसके द्वारा अनुपालन किये जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के संबंध में प्रपत्र-1 में स्वघोषणा संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को देनी होगी—
 - (क) विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित है अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है;
 - (ख) विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्ति-समूह, व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है;
 - (ग) विद्यालय संविधान के आदर्शों के अनुरूप है।
 - (घ) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रोजेक्टों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

- (ड.) विद्यालय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध है;
- (च) विद्यालय समय-समय पर ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिनकी मांग की जाती है और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं;
- (2) प्रपत्र-1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) जिला शिक्षा अधीक्षक उपनियम (i) में वर्णित मापदंडों, मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए स्वतः घोषणा प्राप्त होने के तीन मास के भीतर, उन विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करायेगा, जिनके द्वारा प्रपत्र-1 में स्वघोषणा की गयी है।
- (4) उपनियम (3) में उल्लेखित निरीक्षण किए जाने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और विद्यालयों को मापदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रपत्र-2 में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- (5) वे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित मापदंडों, मानकों और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जायेगी। ऐसे विद्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक से अगले ढाई वर्ष के भीतर किसी भी समय मान्यता प्रदान करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकेंगे। परन्तु अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से यह अवधि ज्यादा नहीं होगी।
- (6) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर उपनियम (1) में वर्णित मापदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं को बन्द कर दिया जायेगा।
- (7) प्रत्येक ऐसे विद्यालय, जिसकी स्थापना अधिनियम के लागू होने के पश्चात् की गई है, उन्हें इस नियम के अधीन मान्यता के लिए अहर्ता प्राप्त करने हेतु अधिनियम की अनुसूची में अंकित संनियमों और मानकों के अनुरूप होना होगा।
- (8) जिला शिक्षा अधीक्षक किसी भी विद्यालय को मान्यता देने संबंधी आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्गत करेंगे।

13. विद्यालय की मान्यता वापस लेना—

(1) जहां जिला शिक्षा अधीक्षक विवेक से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह विश्वास करने का कारण रखते हैं कि नियम-12 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी दिव्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में उल्लेखित मापदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है तो जिला शिक्षा अधीक्षक निम्नलिखित रूप से कार्य करेगा—

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को उल्लेखित करते हुए सूचना जारी करना और उससे एक मास के भीतर स्पष्टीकरण मांगना;

(ख) स्पष्टीकरण को संतोषप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उक्त पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जाएगा जो तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि समिलित होंगे। यह समिति विद्यालय की सम्यक जांच करेगी और अपना प्रतिवेदन मान्यता के जारी रहने या उसे वापस लेने के लिए अपनी अनुसंशाओं सहित जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रस्तुत करेगी;

(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक समिति के प्रतिवेदन और अनुसंशाओं के प्राप्त होने पर मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित कर सकेंगे; परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मान्यता वापस लेने का ऐसा कोई आदेश विद्यालय को सुनवाई के लिये पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा एवं यह कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरंत अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगा तथा मान्यता वापस लेने वाले आदेश में ही यह उल्लेख किया जायेगा कि ऐसे विद्यालय के छात्र को किस विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।

भाग 6—अध्यापक

14. न्यूनतम अहर्ताएं

(1) केन्द्र सरकार से अधिसूचित प्राधिकार द्वारा निर्धारित योग्यता सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामूलों में लागू होगी।

✓ 15. નયુનતમ અહર્તાઓ કા અર્જિત કિયા જાના :—

- (1) રાજ્ય સરકાર સરકારી વિદ્યાલયોં કે એસે સમી શિક્ષકોં, જો નિયત તારીખ કો પ્રશિક્ષિત નહીં હૈ, કો પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરને કી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાયેગી, પરંતુ યાં કી નિયત તારીખ કે ઉપરાન્ત કિરી ભી અપ્રશિક્ષિત શિક્ષક કી નિયુવિત્ત નહીં કી જાયેગો।
- (2) સમી સહાયતા પ્રાપ્ત, ગૈર સહાયતા પ્રાપ્ત એવ વિશેષ કોટિ કે વિદ્યાલય યાં યાં ચુનિશ્વિત કરેંગે કી અધિનિયમ લાગુ હોને કે પાંચ વર્ષો કે અન્તર્ગત ઉનમે કાર્યરત કોઈ ભી શિક્ષક અપ્રશિક્ષિત ન હો।

16. અધ્યાપકોં દ્વારા અનુપાલન કિયે જાને વાલે કર્તવ્ય

- (1) અધ્યાપક પ્રત્યેક બચ્ચે કે લિયે સતત એવ વ્યાપક મૂલ્યાંકન આધારિત અભિલેખ સંધારિત કરેંગે જો પ્રારંભિક શિક્ષા કે પૂરા હોને કે લિયે પ્રમાણપત્ર દેને કા આધાર હોગા।
- (2) અધ્યાપક, ધારા 24 કી ઉપધારા (1) કે ખંડ (ક) સે ખંડ (ડ) તક મે ઉલ્લેખિત કર્તવ્યોં કે અતિરિક્ત નિમ્નલિખિત કર્તવ્યોં કા અનુપાલન કરેંगે—
 - (ક) પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમો મે ભાગ લેના ;
 - (ખ) પાઠ્યચર્ચા નિર્માણ, પાઠ્યક્રમ વિકાસ, પાઠ્ય પુસ્તક વિકાસ તથા પ્રશિક્ષણ માડયુલ મે ભાગ લેના।

ભાગ 7— પાઠ્યચર્ચા ઔર પ્રારંભિક શિક્ષા કા પૂરા હોના

17. શૈક્ષણિક પ્રાધિકાર :—

- (1) અધિનિયમ કી ધારા 29 કે અન્તર્ગત રાજ્ય સરકાર કા શૈક્ષણિક પ્રાધિકાર ઝારખણ્ડ રાજ્ય શિક્ષા શોધ તથા પ્રશિક્ષણ પરિષદ હોગા।
- (2) રાજ્ય શિક્ષા શોધ તથા પ્રશિક્ષણ પરિષદ નિમ્નલિખિત દાયિત્વોં કા નિર્વહન કરેંगા:—
 - (ક) સુસંગત એવ પ્રાસંગિક પાઠ્ય—પુસ્તકો ઔર અન્ય શિક્ષણ સામગ્રી તૈયાર કરના ;*
 - (ખ) સેવાકાળીન પ્રશિક્ષણ ડિજાઇન તૈયાર કરના ;
 - (ગ) સતત તથા વ્યાપક મૂલ્યાંકન કો અન્યાસ મેં રહેને કે લિએ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત તૈયાર કરના; ઔર,
 - (ઘ) વિદ્યાલયોં કી ગુણવત્તા કે મૂલ્યાંકન હેતુ માર્ગ નિદેશ તૈયાર કરના।

18. પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરના :—

- (1) પ્રારંભિક શિક્ષા કે પૂર્ણ હોને કા પ્રમાણપત્ર વિદ્યાલય સ્તર પર પ્રારંભિક શિક્ષા પૂર્ણ કરને કે અધિકતમ એક માસ કી અવધિ કે મીતર વિદ્યાલય કે પ્રધાનાધ્યાપક / પ્રધાન શિક્ષક દ્વારા જારી કિયા જાએગા।
- (2) ઉપભિયમ (1) મેં ઉલ્લેખિત પ્રમાણપત્ર મેં બાળક કે છાત્ર સંબંધી અભિલેખ કે આધાર પર પ્રવિષ્ટિયાં કી જાયેંगી।

માગ. 8 બાળ અધિકારોં કા સંરક્ષણ

19. રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ દ્વારા કાર્યો કા નિર્વહન :—

- (1) રાજ્ય સરકાર દ્વારા, યદિ રાજ્ય મેં રાજ્ય બાળ અધિકાર આયોગ સ્થાપિત નહીં હૈ, તો રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ કી સ્થાપના હેતુ આવશ્યક કદમ ઉદાહેર જાયેંगે।
- (2) જબ તક રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ કી સ્થાપના નહીં કી જાતી હૈ, તબ તક રાજ્ય સરકાર અધિનિયમ કી ધારા 31 કે ઉપધારા (1) મેં ઉલ્લેખિત કાર્યો કે નિર્વહન કે પ્રયોજનોં કે લિએ શિક્ષા સંરક્ષણ અધિકાર પ્રાધિકરણ કે રૂપ મેં એક અંતરિમ પ્રાધિકરણ (જિસે ઇસ નિયમાબદી મેં ઇસકે પ્રચાત આરો ઈ૦ પી૦ ઎૦ કહા ગયા હૈ) કા ગઠન કરેગી।
- (3) શિક્ષા સંરક્ષણ અધિકાર પ્રાધિકરણ (આરો ઈ૦ પી૦ ઎૦) નિર્મલિખિત સે મિલકર બનેગા, અંથાતઃ
- (ક) અધ્યક્ષ, જો ઉચ્ચ શૈક્ષણિક ખ્યાતિની કા વ્યવિત્તિ હોય યા ઉચ્ચ ન્યાયાલય કા ન્યાયાધીશ રહા હોય યા જિસને બાળ અધિકારોં કો બઢાવા દેને કે લિયે ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કિયા હો ; ઔર
 - (ખ) દો સદરસ્ય જિનમેં સે એક મહિલા હોયું ઔર વે સદરસ્ય ઐસે વ્યવિત્તિયો મેં સે હોયે જો નિર્મલિખિત ક્ષેત્રોં મેં પ્રખ્યાત, યોગ્ય, વિશ્વસનીય, ગણમાન્ય એવં અનુમતી હોયું ;
 - (િ) શિક્ષા એવં શિક્ષા પ્રશાસન ;
 - (િિ) બાળ સ્વારસ્થ્ય ઔર બાળ વિકાસ ;
 - (િિિ) બાળ સંરક્ષણ એવં ન્યાય યા ઉપેક્ષિત યા નિર્મલાર્ગીય યા નિઃશક્ત બાળ વિકાસ ;
 - (િિિ) બાળ શ્રમિક ઉન્નૂલન યા વ્યથિત બચ્ચોની કે સાથ કાર્ય ;
 - (િિ) બાળ મનોવિજ્ઞાન યા સામાજિક શાસ્ત્ર ;
 - (અપ) વિધિક વૃત્તિ।

- (4) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006-यथावश्यक परिवर्तन सहित आर० ई० पी० ए० के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर लागू होंगे।
- (5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरंत पश्चात् आर० ई० पी० ए० के सभी अभिलेख और आस्तियां उसे अंतरित हो जायेगी।
- (6) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर० ई० पी० ए० अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे उल्लेखित विषयों पर भी कार्रवाई कर सकेगा।
- (7) राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर० ई० पी० ए० को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में संसाधन एवं सहायता उपलब्ध करायेगी।

20. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति—

- (1) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आर० ई० पी० ए० एक चौइत्तु हैल्पलाइन की स्थापना करेगा जो अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में परिवादों को पंजीकृत करेगी जिनका उसके द्वारा पारदर्शी रूप में अनुश्रवण किया जा सकेगा।
- (2) शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जिला शिक्षा न्यायाधीकरण गठित किये जायेंगे।
- (3) स्थानीय प्राधिकार एवं विद्यालय प्रबंध समिति क्रमशः पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर शिक्षा के अधिकार के संरक्षण हेतु विद्यालय को नियमानुकूल निदेश निर्भत करेगी।
- (4) उप्र संबंधी साक्ष्य या स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय द्वारा नामांकन नहीं लिये जाने की स्थिति में संबंधित बच्चे के माता-पिता या अभिभावक विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकेंगे एवं विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी शिकायतों का अंविलम्ब निवृटारा कर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करेगी।
- (5) इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप विद्यालय की सुविधा अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति द्वारा स्थानीय प्राधिकार को आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। स्थानीय प्राधिकार वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करायेगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ऐसे मामलों में नियमानुसार निर्णय लेगी एवं अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी।

- (6) सरकार द्वारा देय निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, लेखन सामग्री या पोशाक उपलब्ध नहीं होने की शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित बच्चे के माता पिता अभिभावक स्थानीय प्राधिकार के समक्ष अपील करेंगे।
- (7) विद्यालय/ शिक्षक द्वारा बच्चे के प्रति किसी प्रकार के भेद-भाव बरते जाने की शिकायत प्रथमतः विद्यालय प्रबंध समिति को की जायेगी। प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में प्रथम अपील स्थानीय प्राधिकार एवं द्वितीय अपील जिला शिक्षा न्यायाधीकरण के समक्ष दायर किया जायेगा।
- (8) शिक्षकों के अविधिमान्य प्रतिनियोजन या उनके द्वारा दूर्घटना/कोचिंग कार्य किए जाने की शिकायत स्थानीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी। स्थानीय प्राधिकार द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने या उनके निर्णय के विरुद्ध अपील जिला शिक्षा न्यायाधीकरण में किया जायेगा।
- (9) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इसकी शिकायत विद्यालय प्रबंध समिति से की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में स्थानीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया जायेगा।

21. राज्य सलाहकार परिषद का गठन—

- (1) राज्य सलाहकार परिषद (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् परिषद् कहा गया है) एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- (2) राज्य सरकार में प्रारंभिक शिक्षा का प्रभारी मंत्रिपरिषद् का सदस्य पदेन अध्यक्ष होगा।
- (3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी, जो निम्नानुसार है:-
- (क) कम से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं;
 - (ख) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिनके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो;
 - (ग) दो सदस्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे;

(घ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जिनके पास अध्यापन अथवा शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है।

(ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे—

- (i) प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव;
- (ii) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा;
- (iii) अंधक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/अध्यक्ष आर०इ०पी०ए०;
- (iv) झारखण्ड राज्य चैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक;
- (v) राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक;
- (vi) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

(च) सभी सदस्यों में से एक तिहाई महिला होंगी।

(छ) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा इस परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(4) परिषद् अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

भाग 9—अन्यान्य

22. अन्यान्य —

- (1) ऐसे विद्यालय, जिसे सरकार द्वारा लीज/सबलीज अथवा अनुदानित दर पर भूमि उपलब्ध कराई गयी हो, को अधिनियम की धारा 2(n)(ii) में वर्णित सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित माना जायेगा।
- (2) इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार आयोग, शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकार, स्थानीय प्राधिकार या व्यक्ति के द्वारा संभावना से किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।
- (3) यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में किसी कठिनाई की संभावना उत्पन्न होगी तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे कार्रवाई या औदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत हो।
- (4) राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा निर्गत इस नियमावली से संबंधित कोई भी स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।
- (5) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विचारित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली को स्पष्ट कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मृदुला सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट

प्रपत्र-1

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषणा—सह—आवेदन

सेवा में

'जिला शिक्षा' अधीक्षक,
(जिलों का नाम)

महोदय,

मैं एतदद्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में
उल्लेखित सन्नियमों और मानकों के अनुप्रालन के संबंध में एक स्वःघोषणा और
..... (विद्यालय का नाम) को वर्ष 20..... विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान
करने के लिये विहित प्रपत्र में एक आवेदन अग्रेसित करता हूँ।

अनुलग्नक:

स्थान :

मवदीय,

तारीख :

प्रबंधक / अध्यक्ष / चेयरमैन

प्रबंध समिति

विद्यालय

क. विद्यालय का व्योरा

1	विद्यालय का नाम
2	शैक्षिक सत्र जिससे मान्यता प्रस्तावित है
3	ज़िला
4	डाक का पता
5	ग्राम/नगर
6	तहसील
7	पिन कोड
8	फोन नं० एसटीडी कोड सहित
9	फैक्स नं०, एसटीडी० कोड सहित
10	ई-मेल पता, यदि कोई हो
11	निकटतम पुलिस थाना

ख. साधारण सूचना

1	स्थापना का वर्ष
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तारीख
3	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का नाम
4	वया न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकृत है।
5	वह अवधि, जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है।
6	वया न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के गैर-स्वाभित्व प्रकृति का कोई सबूत है, जो शपथ-पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो।
7	विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता।
	नाम
	पदनाम
	पता
	फोन(कार्यालय)

४	(निवास)			
	वर्ष	आय (₹०)	व्यय (₹०)	आधिकार्य (₹०)

ग. विद्यालय का स्वरूप और क्षेत्र

1	शिक्षा का माध्यम	
2	विद्यालय की किसम (प्रवेश और अंतिम कक्षाएं उल्लेखित करें) यथा : अधिनियम की धारा 2 (n) में वर्णित	
3	यदि विद्यालय सहायता प्राप्त है तो अधिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत	
4	यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त है	
5	यदि हाँ, तो प्राधिकार का नाम एवं मान्यता संख्यांक	
6	विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किसाए के भवन में कार्य कर रहा है	
7	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या ब्रिडा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिये किया जा रहा है	
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ. नामांकन प्रारिथ्मिक

	कक्षाँ	वर्गों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	पूर्व-प्राथमिक		
2	1 से 5		
3	6-8		

इ. अवसंरचना के बारे और स्वच्छता संबंधी दशाएं

	कक्ष	संख्या	औसत आकार (लंबाईxचौड़ाई)
1	कक्षा		
	सेप्टम्बर कक्ष भंडार कक्ष		
2	प्राध्यापक कक्ष इत्यादि		
3	रसोई—सह—भंडार कक्ष		

च. अन्य प्रसुविधाएं

1	क्या सभी प्रसुविधाओं तक वाधारहित पहुंच प्राप्त है	
2	अध्यापन—पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3	खेल—कूद और क्रीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा — पुस्तकों (पुस्तकों की संख्या) — पत्रिकाएं/समाचार—पत्र	
5	पेयजल सुविधाओं की किसम और संख्या	
6	स्वच्छता संबंधी दशाएं (i) डब्ल्यू सी और मूत्रालयों की किसम (ii) बालकों के लिये पृथक मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या (iii) बालिकाओं के लिये पृथक मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	

छ. अध्यापन कर्मचारीवृन्द की विशिष्टियां

1.			
अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)	
शैक्षिक अहंता	प्रशैक्षणिक अहंताएं	अध्यापन संबंधी अनुभव	

	(4)	(5)	(6)
	सौंपी गयी कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यारे पृथक रूप से)			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	प्रशैक्षणिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गयी कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3. प्रधान अध्यापक			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	प्रशैक्षणिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गयी कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम

1 प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्चा और

पाठ्यक्रम के बौरे (कक्षा 1 से VIII तक)	
2	विद्यार्थियों के निरीक्षण की पद्धति
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है?

(श) प्रमाणित किया जाता है कि राज्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(ज) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह चर्चनबंध करता है कि वह ऐसे सभी प्रतिवेदन एवं जानकारियां प्रस्तुत करेगा जो समय-स्मरण पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अप्रेक्षित हों और राज्य प्राधिकार या जिला शिक्षा अधीक्षक के ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये या विद्यालय के कायकलाप में कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जायेंगे।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विद्यालय के अर्भलेख किसी भी समय जिला शिक्षा अधीक्षक या राज्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करेगा, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या प्रशासन को यथारिति, संसद/विधान सभा/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों।

₹0/-

अध्यक्ष/प्रबंधक/चेयरमैन
प्रबंध समिति,

विद्यालय

दिनांक :

स्थान :

प्रपत्र-2

जिला शिक्षा अधीकार का कोर्यालय
[जिला का नाम]

संख्यांक

तारीख :

प्रबंधक,

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार- अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए ज्ञारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा दिनांक को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं (विद्यालय का नाम, पते सहित) को शैक्षणिक सत्र से कक्षा से तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार- अधिनियम, 2009 एवं ज्ञारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
- विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवृचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- उक्त कठिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत, प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग वैक खाता संधारित करेगा।

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्कीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :
 - i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक देड नहीं दिया जाएगा;
 - iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र पदान किया जाएगा;
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निश्चक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा;
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सकाम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम् अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे;
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे; और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाद्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
 - i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - ii. कुल निर्भित क्षेत्र
 - iii. क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
 - iv. कक्षाओं की संख्या
 - v. प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष
 - vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

- vii. पैयजल सुविधा
- viii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)
- ix. बाधारहित पहुंच
- x. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूल उपस्कर्षों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवित्वों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। 1 ग्रन्थालय के लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेंग। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

*आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

जिला शिक्षा अधीक्षक।